पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–72/2022

1. सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निः सिलवाला कला टिब्बी जरिये सुरेन्द्रकुमार (पुत्र)।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री राकेश झींझा अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–11.10.2022

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र सुरेन्द्रकुमार द्वारा न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि चक 21 बीएलडी बी के मु.नं0 175/42 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा अ0क0 भूमि दिनांक 31.799 को तनसुखराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निः सिलवाला के नाम से आवंटन कर आवंटन आदेश जारी किया गया था। आवंटन के पश्चात ना0सं0 256 के द्वारा उपरोक्त आवंटन भूमि तनसुखराम पुत्र मोमनराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया गया परन्तु उक्त रिकॉर्ड को ऑनलाईन करते समय सहवन से आवंटी तनसुखराम के पिता का नाम मोमनराम के स्थान पर मामराज दर्ज कर दिया गया। जिसे वादी/प्रार्थी सुरेन्द्रकुमार (पुत्र तनसुखराम) शुद्ध करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में तनसुखराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निः सिलवाला कला तहः टिब्बी दर्ज करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसील खाजूवाला पटवारी पटवार हल्का दन्तौर रिपोर्ट अनुसार आवंटन पट्टा में आवंटी का नाम तनसुखराम पुत्र मोमनराम अंकन है जिसका ना0सं0 256 दिनांक 22.12.99 में तनसुखराम पुत्र मोमनराम वि0आ0 दर्ज है। गिरदावरी सम्वत् 2058–2061 व गिरदावरी सम्वत् 2062–2065 में तनसुख[illegible] निः सिलवाला कला तहः टिब्बी वि0आ0 दर्ज है। आधार जमाबंदी सम्व[illegible]063–2066 में तनसुखराम पुत्र मामराज दर्ज हो गया व सम्वत् 2065–68 में तनसुखराम [illegible] दर्ज है। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र को साबित करने के पक्ष में [illegible] परिचय पत्र, आधार[illegible] संबंधित गिरदावरी, शपथपत्र, वारिस प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमा[illegible] छायाप्रति पेश की [illegible] जिला अभिलेखागार बीकानेर के क्रमांक 2098 दिनांक 18.07.22 द्वारा उक्त रकबे की मूल आवंटन पत्रावली पेश की। जिसमें आवंटी नाम तनसुखराम पुत्र मोमनराम अंकित है। जो कि वादी/प्रार्थी अनुसार सही नाम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:25 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का दन्तौर तहसील खाजूवाला व वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का दन्तौर तहसील खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। पटवार हल्का दन्तौर की रिपोर्ट व वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड अंकन में लिपिकीय त्रुटि से आवंटी का नाम तनसुखराम पुत्र मोमनराम के बजाय तनसुखराम पुत्र मामराज गलत दर्ज हो गया। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी रिपोर्ट एवं मूल आवंटन पत्रावली वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए आवंटी तनसुखराम पुत्र मामराज की जगह तनसुखराम पुत्र मोमनराम का नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वादपत्र पटवारी रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल आवंटन पत्रावली नकल जिला अभिलेखागार बीकानेर के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि आवंटी तनसुखराम पुत्र मोमनराम की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में आवंटी का नाम तनसुखराम पुत्र मामराज की जगह तनसुखराम पुत्र मोमनराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:25 IST
Reason: SelfAttested